Thirteenth Loksabha

Session : 11
Date : 12-12-2002

Participants : Vajpayee Shri Atal Bihari ,H.D. Deve Gowda Shri ,Chatterjee Shri Somnath ,Mishra Shri Ram Nagina ,Patil Shri Shivraj V. ,Jaiswal Shri Shriprakash ,Yadav Shri Sharad ,Singh Shri Akhilesh ,Paswan Shri Ram Vilas ,Suman Shri Ramji Lal ,Singh Shri Prabhunath ,Singh Dr. Raghuvansh Prasad ,Jadhav (Patil) Shri Suresh Ramrao ,Sayeed Mr. P.M.

NT>

Title: Regarding issues related to sugarcane growers in Uttar Pradesh and the incident of firing on them.

12.00 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : किसानों की लड़ाई जारी है। अनेकों किसान मारे गये हैं। ... (व्यवधान)

12.01 hrs.

At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh and some other

hon. Members came and stood near the Table

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र में किसानों पर लाठियां और गोलियां चली हैं, वहां निर्दो किसान मारे गये हैं।...(व्यवधान) वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनुंगा, पहले आप अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से रिस्पांस आयेगा, लेकिन आपको व्यवस्था बनाये रखनी होगी, नहीं तो कार्रवाई इस तरह से कैसे चलेगी।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

12.02 hrs.

At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh and some other

hon. Members went back to their seats

* Not Recorded

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे सदन में था। वहां राज्य सरकार की तरफ से मेरे पास जो जानकारी आई है, उसके अनुसार मुंडेरवा में एक आदमी की मृत्यु हुई है। जो अखबारों में छपा है कि तीन लोगों की मौत हुई है, मेरी प्रदेश सरकार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर दूर वह लाश मिली है। अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है कि क्या वह गोली से मरा है...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : आप बैठ जाइये, यह प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, प्रधान मंत्री जी को बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अखबारों में साफ लिखा है कि पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों की उत्तेजना समझता हूं। जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार वहां गन्ना पैदा करने वाले किसान गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए संर्घा कर रहे थे। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और समाचार-पत्रों के अनुसार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लेकिन मैंने लखनऊ में सम्पर्क स्थापित किया था, उनका कहना है कि पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई हैं और जिस व्यक्ति की मृत्यु की बात कही जाती है, वहां से 15 किलोमीटर दूर उसका शव मिला है। हो सकता है कि वह गोली का शिकार हुआ हो या अन्य कारणों से मौत का निशाना बना हो। हम सब तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं और मुख्य मंत्री से सम्पर्क हुआ है।...(व्यवधान)

आप थोड़ा समय दें - शाम 5 बजे तक का समय दीजिए। सारी जानकारी एकत्र कर के हम आपको बताएंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पर अंकुश लगाइए। यह हमेशा हर बात पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह प्रधान मंत्री जी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, let the Prime Minister finish his reply.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Leader of the House is replying.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में चर्चा हुई, वायदा किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक गन्ना किसान को उसके बकाया का एक पैसा भी नहीं मिला है और न ही उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल चालू हुई है। …(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। हम जानकारी इकट्ठा करके सारी सूचना सदन को देंगे और अगर पुलिस का दोा है, तो हम उसको भी सजा का भागीदार बनाएंगे। …(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अगर सरकार का दोा है, तो क्या आप सरकार को भी भागीदार बनाएंगे **?** …(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसानों की पीड़ा को पहले सुन लें। उनकी जो व्यथा है, जो दर्द है, उसे सुन लें। आपसे हमारी विनती है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों के दर्द को दूर करें। …(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठा कराने का प्रयास करेंगे और सदन को अवगत कराएंगे। …(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में बहस हुई और यह तय हुआ था कि गन्ना किसानों का बकाया वापस दिया जाएगा, लेकिन एक पैसा भी गन्ना किसानों को वापस नहीं दिया गया है और न आज तक एक भी चीनी मिल चालू की गई है। …(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गम्भीर बात है। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गन्ने की प्राइस आज से नहीं पिछले 50 वर्षों से तय होती आई है। निगोशिएटिंग प्राइस स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से तय की जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की 90 रुपए प्रति क्विंटल निगोशिएटिंग प्राइस उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से पहले से ही तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि मिल मालिक केन्द्र सरकार द्वारा घोाति मिनिमम सपोर्ट प्राइस 65 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गन्ने की प्राइस देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसी बात को लेकर आन्दोलन चल रहा है। इसी बात को सरकार सुन ले और उनके दुख-दर्द को दूर करे, तब तो कुछ बात बनेगी। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Prime Minister is on his feet to give reply. Please listen to him. What is this?

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, the Adjournment Motion was with regard to the firing on farmers. The Government is going to collect the information.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are going to make a statement before the close of the day.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I would request you to admit the Adjournment Motion. Let there be a discussion. Let the Government reply to it. … (*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती में गोली चल गई। यह मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। गन्ना किसानों की जो समस्या है वह हल नहीं होगी तब तनाव बढेगा तो और क्या होगा। गन्ना किसान आन्दोलित है, उसे गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है, उसका चीनी मिलों पर जो बकाया है वह नहीं मिल रहा है, चीनी मिलें नहीं चल रही हैं। …(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में चीनी मिल मालिक किसान को गन्ने की कीमत 110 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं और हरियाणा के अम्बाला से लगा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिले का क्षेत्र है जहां का गन्ना हरियाणा के गन्ने से भी कहीं अधिक मीठा है, वहां मिल मालिक उसे 65 रुपए प्रति क्विंटल का दाम दे रहे हैं। जब हरियाणा में गन्ने का दाम 110 रुपए प्रति क्विंटल देने में मिल मालिकों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, घाटा नहीं हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे मिल मालिकों को नुकसान होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would now give the floor to Shri Deve Gowda.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akilesh Singh, will you not allow any Member to speak in this House?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा किसान को पुलिस की गोली लगने से मौत का नहीं बल्कि किसानों को मिल मालिक उनके गन्ने की कीमत नहीं दे रहे हैं, पिछला बकाया नहीं दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल नहीं चल रही है, यह है। गोली चलने के बारे में तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जानकारी इकट्ठा करा रहे हैं और शाम तक सदन को अवगत कराएंगे, लेकिन गन्ना किसानों की जो समस्या है, उनके गन्ने की कीमत की, उनके बकाया के भुगतान की, उ.प्र. में चीनी मिलें चालू कराने की, उसका तो समाधान कराइए। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराट्र में पुलिस ने किसानों पर ज्यादती की और उन्हें उनके घरों से जाकर पकड़ा, तब तो ये एक शब्द भी नहीं बोले और अब ये इतना बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) जब इन्होंने वर्तमान प्रधान मंत्री की बात नहीं सुनी, तो हम भू.पू. प्रधान मंत्री की बात क्यों सुनें।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Deve Gowda's speech.

*(Interruptions) ...**

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will not go on record.

(Interruptions) ...)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the floor to him.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deve Gowda, I have given the floor to you to speak.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Khaire, I have given the floor to him. He is a former Prime Minister.

… (*Interruptions*)

श्री चन्द्रकांत खैरे : उपाध्यक्ष महोदय, जब महाराट्र के डिगरास और सांगली में गन्ना किसानों को मारा गया तब कोई कुछ नहीं बोला। अब ये बोल रहे हैं। …(व्यवधान) जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे तब इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। …(व्यवधान) हम इनको क्यों बोलने दें ? …(व्य

वधान) वहां किसानों ने आत्म-हत्यायें की,उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। ...(व्यवधान) 100 किसानों ने आत्महत्यायें की, तब कोई कुछ नहीं बोला। वहां इनकी सरकार है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire, I have given floor to him. He is our former Prime Minister. Please resume your seat now.

… (*Interruptions*)

* Not Recorded

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given floor to him. Please resume your seat.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record, except what Shri Deve Gowda says.

*(Interruptions) ...**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh Ramrao Jadhav, please resume your seat.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Nagina Mishra, I have given floor to him. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: By shouting like this, you are not doing any service to the farmers.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Suresh Ramrao Jadhav, will you resume your seat now?

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Prime Minister has said … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire, will you please resume your seat? You are challenging the Chair.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Nagina Mishra, after him, I will give you the floor. Why are you agitated? Please resume your seat.

… (*Interruptions*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अपने पुराने साथी को सुनना चाहेंगे ...(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to speak for one minute only.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बोलिये, हम सुनना चाहेंगे। अगर सुनने लायक बातें होंगी तो हम उसे जरूर सुनेंगे मगर आप सुनने लायक बातें कहिये। यह पार्टी का मामला नहीं है। अब वह महाराट्र की सरकार को दोा दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव : यह असलियत है। ...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब किसान का मामला पार्टियों से ऊपर चला गया है। उसको दाम अच्छा मिलना चाहिए, जो दाम मिल रहा है, वह कम है।

मगर मुझे पता लगा है कि अदालत ने कह दिया है कि इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकते।...(व्यवधान) अगर यह बात सच है...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बैठिए।...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह बात सच है तो फिर मिल-बैठ कर इसका हल निकालना पडेगा। अगर अदालत का फैसला बाधक है तो हम मिल कर उसका रास्ता निकालें और गन्ने का न्यूनतम दाम क्या होना चाहिए, लाभकर न्यूनतम देने की जरूरत है, उसके बारे में फैसला करें। लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, बहस नहीं होगी, अब आप कहेंगे कि कल तो बहस हुई थी। अब अगर बार-बार गोली चलेगी तो बार-बार बहस होगी। लोग अगर पुलिस की गोली से मरेंगे तो चर्चा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप समय तय कर दें, तब तक हम उत्तर प्रदेश से सारी जानकारी एकत्र कर लेंगे, सदन के सामने रख देंगे। आप बोलिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jadhav, now please resume your seat.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, hon. Prime Minister has made it clear. This matter is very grave. This has to be discussed in detail. We will find some time in a meeting of the Business Advisory Committee. In the meanwhile, the Government should get the information and then make a statement here. Now, Shri Deve Gowda.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Sir, if a separate discussion is going to be allowed to discuss in this House exclusively the problems of sugarcane growers, I do not want to make any speech now. … (*Interruptions*)

On a previous occasion, when we raised this issue during 'Zero Hour', the hon. Minister for Food and Civil Supplies gave a reply. When we raised the issue under Rule 193 concerning the problems of farmers, on that day also, I made an appeal that this was not a political issue. It is a problem of the farmers to be dealt with by the entire House. We do not want to mix politics with this issue.

Fortunately, you are here today. You have made a promise that you are going to collect all the information about the unhappy incident that has happened today, and the information would be given to this House through a statement either by you or by the Minister concerned.

So far as the problem of sugarcane growers is concerned, each State has got its own problem. It not merely concerns the State of Uttar Pradesh. Each State has got its own problem. So, whether we can attribute this problem to the WTO Agreement and all these things is now immaterial. I do not want to go into the details.

But when I presented the entire problem of the farmers to your goodself, I requested you to call, if necessary, all the Chief Ministers to discuss this problem because it was a Concurrent subject. Both the Chief Ministers and the Prime Minister should sit together to find out a solution.

The issue of Uttar Pradesh is altogether a different matter. It has been bungled at various stages. At one stage, the High Court has given some decision. Then, the Supreme Court has given a decision. This matter is

now pending before the Supreme Court on one issue. I am just mentioning it for your kind consideration. It is not going to be solved merely by the Court. If the Court wants to solve this problem, it might take two or three months. This issue cropped up in 1997 and is pending at various levels, that is, in the High Court, the Supreme Court and like that.

My earnest appeal to your goodself is that the farmers are suffering in Uttar Pradesh because of a fight in the Court by mill-owners and sugarcane growers through various public interest litigations. All these things are there. You must convene a meeting with the State Chief Ministers. The State Government is taking a different position. I do not want to mix politics with this issue. All these things are happening. The farmers had come here. They had an agitation near the *Kisan Ghat*. On that day, I raised this issue during the 'Zero Hour'. The hon. Minister had replied. But it is not in his hands. As the Leader of this House and being the Prime Minister of this country, you convene a meeting of the Chief Ministers and, if necessary, exclusively for Uttar Pradesh.

The same situation prevails in Bihar. In the case of Bihar, the matter is not in the court. In so far as Uttar Pradesh is concerned, the matter is pending before the court. The courts cannot sort out the issue of minimum support price. The matter has to be sorted out by the State Governments and the Central Government. … (*Interruptions*) The courts cannot solve this problem.

The mill owners who want to exploit the situation are asking the sugarcane growers to give the support price fixed by the State Government in writing, that is Rs.66 per quintal or something like that. This is not going to work out. The farmers are suffering very badly for the last two months because the crop has overgrown. Overall, what is going to happen, everybody knows this. They cannot go for the second crop, that is, wheat crop. The whole economy is going to be collapsed in UP. More than one and a-half crore cane growers are there.

It is fortunate that today the hon. Prime Minister is here and he has given an assurance that he would look into it. But my request is that he should call the Chief Ministers concerned and the concerned Food Minister or

whoever he wants to call and try to find out a solution. I would also request him not to allow the matter to be settled by the court, otherwise the agitation will further aggravate. We do not want to provoke and unnecessarily infuriate the farmers. So, the Prime Minister should see that the problems of cane-growers of Uttar Pradesh are solved under his leadership. That is all I want to submit.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, after having a statement made by the Prime Minister that information will be collected, a discussion can be arranged after placing it before the Business Advisory Committee. I think, now we can move over to the next item instead of every party speaking on this at this moment. We can get the information from the Government and then on the basis of that we can find some time to discuss this.

… (*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, we all appreciate the hon. Prime Minister's intervention in this matter. Certainly, we appreciate that he is to seek the information. The information will come and a statement will be made.

But the issue is that every section of the House is concerned about the problem, namely, the Minimum Support Price. It should not be treated as a routine matter to be resolved departmentally. The intervention of the hon. Prime Minister is necessary. I endorse what has been said by Shri Devegowda that this is an approach, which has to be taken by the Prime Minister. Sooner he takes it the better. So many States are involved and such incidents will happen, as he has just now said, if this matter is not solved, there maybe similar incidents everyday, which should be avoided.

Therefore, we are happy that the Prime Minister has made his appearance on this very important issue. Let him intervene at his stage, call some of the leaders here or call the Chief Ministers and try to solve it sooner than later. That is our request… (*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : हमारी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना है, उसे तो लीजिए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will give you permission. I will not allow you like this.

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरे क्षेत्र का गन्ना उस मिल में जाता है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस देने से इप्सोफैक्टो आपका राइट नहीं बन जाता है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not impose like this. ऐसे नहीं चलेगा।

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना था, कह दिया, अब आपको क्या कहना है? रामनगीना मिश्र जी।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …**

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should get the permission of the Chair before you speak. You are not allowed like this. I have called Shri Ram Nagina Misra.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh Singh, do not hold the House like this. I have to give you the permission.

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसी किसानों की विकट समस्या के बारे में जब स्वतः प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं और उन्होंने अपने ि

वचार व्यक्त किये हैं, उस समय आपने किसानों की समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको कोटिशः धन्यवाद दे रहा हूं।

पहला सवाल यह है कि गन्ने की समस्या आज से नहीं है, यह रोग इतना बढ़ गया है कि कैंसर जैसा हो गया है। इस कैंसर को एक्सपर्ट प्रधानमंत्री जैसा डाक्टर हाथ नहीं लगायेगा तो कैंसर ठीक नहीं हो पायेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं और हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को गन्ने के बारे में हर चीज मालूम है।

आज वहां समस्या काफी कठिन हो गई है। एक अरब रुपए नहीं, बल्कि कई अरब रुपए, पुराने मूल्य के हिसाब, से गन्ना किसानों के बकाया हैं। तमाम चीनी मिलें बंद हो गई हैं। मेरे क्षेत्र में भी चार चीनी मिलें बंद हो गई हैं। वहां भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आज हालत यह है कि किसान कोल्हू वालों को और अन्य को अपना गन्ना 30-35 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बेच रहा है। आप मेरठ में चले जाएं, मेरे यहां चले जाएं, किसान मजबूर है, वह रो रहा है। वैधानिक संकट पैदा हो गया है। गत वर्ा 95-100

* Not Recorded

रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम राज्य सरकार ने तय किया था और गन्ना सप्लाई भी हुआ था। इस समय मिल वालों ने कह दिया है कि हम मिलें नहीं चलाएंगे। निजी शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 95 रुपए प्रति क्विंटल का भाव, जो गत वर्ा तय हुआ था, वह देंगे। चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इसको लेकर मेरठ में भी आंदोलन हुआ है, हमारे यहां भी हो रहा है और मिलें नहीं चल रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लाखों एकड़ जमीन पर, जहां गन्ना काटकर गेहूं बोना था, वह नहीं बोया जा रहा है। किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं।

मैं अदब के साथ कहूंगा कि राज्य सरकार ने 95 रुपए भाव कहा है, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा है कि राज्य सरकार को मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। गन्ने का दाम तय करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। जो भाव केन्द्र सरकार तय करेगी, वह मिलेगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। किसी भी मूल्य पर किसान इस दाम पर गन्ना शूगर मिलों को नहीं देंगे। वे अपने गन्ने को आग लगाकर जला देंगे। चीनी का दाम गिर गया है। विश्व बाजार में भी चीनी का दाम स्थिर नहीं है। अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे तो किसान मारा जाएगा। आज मिलें बंद हो रही हैं इसलिए किसान के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसमें केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाएं और इसका समाधान कराएं। यह भी तय कराएं कि मिलें चलें, गोलियां नहीं चलें। इसके पहले भी गोलियां चली हैं। आज भी दिल्ली के बगल में गोलियां चली हैं। गन्ने का जो पुराना

बकाया है, वह किसानों को मिलना चाहिए। सरकार को यह प्रबंध करना चाहिए कि चीनी का भी सही मूल्य मिले। आज देश में चीनी काफी मात्रा में हो गई है। आपने उसका बफर स्टाक बनाया है इसलिए पुराना बकाया तुरंत रिलीज करें। अगर किसानों को बकाया नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश का किसान मर जाएगा। आज उसकी हालत दयनीय है। हमें मालूम है कि प्रधान मंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है इसलिए यह मामला तय हो जाएगा। मैं प्रधान मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने किसानों के मामले में हस्तक्षेप किया है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): The problem is very difficult. Fortunately the Prime Minister is in the House. Shri Deve Gowda and the other leader, Shri Somnath Chatterjee, have made certain suggestions. We also endorse those suggestions. Other Members also should be allowed to speak. On behalf of the Congress Party, Shri Jaiswal will speak. Let us take a non-partisan attitude to solve this problem. Let us not only have the information regarding what happened yesterday but also as to how we are going to deal with this problem.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I want to say just one sentence.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुामा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले पेपर ले करा दें, फिर इस पर चर्चा करा लें। हम इसीलिए बैठे हैं कि पेपर ले हो जाएं। इसमें दो मिनट लगेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हमें पहले अपनी बात कह लेने दें। प्रधान मंत्री जी आ गए हैं इसलिए सदन चलेगा।

श्रीमती सुामा स्वराज : पहले पेपर ले करवा दें, दो मिनट में खत्म हो जाएगा।...(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I think the Minister cannot intervene in this matter. It is the Chair to conduct the business.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I appeal to the entire House. After collecting the information, the hon. Minister would make a statement. On the basis of

that statement, we can have a discussion on this matter.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri H.D. Deve Gowda wanted to say something on this subject; Shri Ram Nagina Mishra also wanted to say something. Some other hon. Members also want to speak on this and I would allow them. After that, let us put an end to this.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इतने दिन हो गए, जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, तब से यह सवाल उठ रहा है।…(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बारे में आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है, आज पहली बार लोक सभा में यह लगा है कि यह सरकार शायद गन्ना किसानों के इश्यू को लेकर थोड़ी-बहुत गंभीर हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां आकर बयान दिया। कल बस्ती में जो घटना घटी है जिसमें तीन किसान गोली से मारे गये हैं और लगभग सौ के करीब किसान घायल हुए हैं, ऐसा अखबार में आया है। तीन के 6 भी हो सकते हैं और तीन का एक भी हो सकता है। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शाम तक बयान देंगे - इश्यू यह नहीं है। सवाल इस बात का है कि पिछले दो महीनों में कई बार गन्ना किसानों को लेकर लोक सभा में बहस हुई है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान जब तक अपने गन्ने को मिल में नहीं बेचेगा, गन्ना मिलों में पिराई शुरू नहीं होगी तब तक वह गेहूं नहीं बो सकता है। आज

उसकी हालत यह है कि जो मूल्य निर्धारण नवम्बर के पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए था, वह मूल्य निर्धारण आज तक नहीं हो पाया और जो बात कोर्ट में कही जा रही है, मैं आपको सच-सच बयान करूं कि कोर्ट में जो केस गया है, वह मिल मालिकों की मिलीभगत से गया है। सरकार ने कोर्ट में उतनी पैरवी नहीं की जितनी सरकार को करनी चाहिए थी। इसलिए मिल मालिकों को कोर्ट में राहत मिली और आज उसी के आधार पर गन्ना किसानों का भुगतान करने से वे कतरा रहे हैं और कहते हैं कि इस भाव में गन्ना नहीं खरीद सकते। सच्चाई यह है कि इस स्थिति में, 64-65 रुपये क्विंटल में गन्ना मिल वाले मांग रहे हैं। किसान इस भाव में गन्ना कहां से देगा? 110 रुपये का भाव हरियाणा दे रहा है। उनको 110 रुपये क्विंटल में पड़ता नहीं पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से 65 रुपये क्विंटल में शुगर मिल वाले भुगतान करने के लिए कह रहे हैं तो किसान को इस मूल्य पर कहां से पड़ता लगेगा? हालत यह हो गई है कि गन्ना किसान गन्ने को जलाने के लिए मजबूर हैं। जब तक किसान गन्ना नहीं जलाएगा तब तक वह गेहूं बोना शुरू नहीं कर सकेगा लेकिन यह सरकार इस मामले को टालती चली गई।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, we have already converted this into a debate.

... (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ना मिल मालिकों के साथ मिलीभगत है। इसलिए आज यह स्थिति बनी है। आज प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सभी पक्षों को बैठकर इसका निर्का निकालना चाहिए, यह बात बिल्कुल सच है। इसका निर्का कोर्ट नहीं निकाल सकती है। सारे राजनीतिक दल और सरकारें ही इसका निर्का निकाल सकती हैं लेकिन यह फैसला एक महीने पहले करना चाहिए था। आज इस हालत में दो महीने हो गए हैं, गन्ना किसानों के गन्ने की पिराई शुरू नहीं हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर आज भी इसकी मीटिंग बुलाएंगे तो गन्ना किसानों की सरकार क्या मदद करना चाहती है, यह बात घोति करे और गन्ना मिलों को क्या सब्सिडी देंगे, यह बताए क्योंकि गन्ना मिल वाले तो पूरी तरह से इस बात पर आमादा हैं कि हम गन्ना किसानों को वह भाव नहीं देंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है।

इस हालत में मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। 24 घंटे की देरी न की जाए। तुरंत मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। गन्ना मिल वालों को निर्देश दिये जाएं कि जो सरकार ने दर निर्धारित की है, उस दर पर गन्ने की खरीद करें, गन्ना मिल चलाएं, गन्ने की पिराई शुरू करें और किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, यहां पर रोजाना हर आठवें रोज किसी न किसी धारा के तहत यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, उसमें से कितना आज तक भुगतान हुआ है, सरकार बताए। उत्तर प्रदेश शासन से पूछे कि क्या एक भी पैसे का पुराना भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी गन्ना किसान को किया है? ...(व्यवधान) हम लोग यहां इस पर डिबेट करते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं लेकिन न गन्ना किसानों का बकाया दिया जाता है और न ही मिलें चलाई जाती हैं। सरकार केवल बहस में ही समय निकाल देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज गन्ना किसानों के संबंध में तुरंत मीटिंग बुलाई जाए और सरकार तय करे कि कब तक गन्ना किसानों का पुराना बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा?

दूसरे मेरा कहना है कि सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस निर्धारित की है, वह किसानों को मिले और मिलें गन्ना लेना शुरु करें...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister wants to say something.

... (*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी क्या बतायेंगे, हम रोज सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister wants to say something.

... (*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, हमने भी नियमों के तहत नोटिस दिया है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इधर आप नियमों का पालन करते हैं ?

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : किसानों के विाय में जो घटना हुई है और गन्ना किसानों के विाय में अपनी बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister wants to say something. I have given the floor to him. You do not allow him to say something.

... (*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, इस तरह से काम नहीं चलेगा। समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ...(व्यवधान)...*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, इन्होंने कहा है ..... इस शब्द को निकाल दीजिए। आपके बारे में ..... ऐसा शब्द कहना उचित नहीं है...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : हम अपनी व्यथा भी नहीं कह सकते हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : व्यथा कहिए। .....

कुंवर अखिलेश सिंह : कहना पड़ेगा...(व्यवधान)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is very wrong. Please remove that word from the record. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like you to withdraw that word.

… (*Interruptions*)

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he should withdraw that word. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPAKER: Kunwar Akhilesh Singh, are you withdrawing that word?

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं वह शब्द वापिस लेता हूं। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you a chance after the hon. Minister speaks. Let there be some order in the House.

… (*Interruptions*)

*…Expunged as ordered by the Chair

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान मर रहा है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, what is this? What happened to you? Please resume your seat. Will you please resume your seat?

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrakant Khaire, please control your Members.

श्री रामदास आठवले : आप किसानों के बारे में हमारी बात सुनिए...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please resume your seat. I warn you. I will not give the floor to you.

... (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : महोदय, इस बहस में श्री देवेगौडा जी ने अपनी बात कही, लेकिन यह मामला एक सूबे तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश का मामला है। बहस के दौरान कहा जा रहा है कि सरकार अभी कदम उठाए। मैं मानता हूं कि मामला गम्भीर है। बहस अभी करा दीजिए, मतलब अभी निकल जाएगा। क्या बहस से कुछ निकलने वाला है...(व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): I do not want any discussion on this. I want an action. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Renuka Chowdhury, please allow him to speak.

… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कैटेगोरिकली बहुत साफ-साफ कहा है कि इस मामले में बातचीत करेंगे कि इस सारी बात का किस तरह से समाधान किया जाए।

इस पर साफ-साफ और सीधी-सीधी बात रखने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मामला उठाया गया है उसमें हम लोग भी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जानकारी लेकर बयान किसी समय दे दिया जाए। मैं विनती करुंगा कि इस पर बहस करनी है तो अभी शुरू की जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा माननीय देवगौड़ा जी ने कहा और मैं भी समझता हूं कि वही एक रास्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या एक्शन होगा वह हम बिजनैस एडवाइज़री कमेटी में डिस्कस करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव : महाराट्र में भी गन्ना किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर जाधव, आप बैठ जाइये। मिस्टर अखिलेश, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में जब किसानों के सवाल पर संसद की कार्यवाही स्थगित हुई और आदरणीय प्रधान मंत्री जी सदन के अंदर 12 बजे आये, उन्होंने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज गन्ना किसान की जो समस्या है आपने उस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर इसके समाधान की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष को देखिये कि देश में जहां गन्ना पैदा होता है, वह गन्ना वहां सस्ता है और जलाने की लकड़ी महंगी है। अब मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान की समस्या पर आना चाहता हूं। गन्ना

किसान का अगर 15 दिन से ज्यादा चीनी मिल मालिक पर बकाया हो जाता है तो नियम यह है कि चीनी मिल मालिकों को गन्ना किसान को ब्याज देना पड़ेगा। जहां भी वे गन्ना किसान को भुगतान नहीं करेंगे, उन मिल मालिकों के खिलाफ राज्य सरकारें रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेंगी। लेकिन कोई भी राज्य सरकार किसी भी चीनी मिल मालिक के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है और कहीं भी बकाया राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार यदि अपने अधिकारों का उपयोग करे तो कोई भी चीनी मिल मालिक राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है।

भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य साढ़े चौसठ रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और रिकवरी साढ़े आठ प्रतिशत के आधार पर तय की है। जब एक प्रतिशत रिकवरी अधिक बढ़ेगी तो इस हिसाब से जो दस प्रतिशत औसत रिकवरी उत्तर प्रदेश में आ रही है उससे अधिकतम गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 75 रुपये क्विंटल मिलेगा। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में उच्च-न्यायालय ने पैदा की। उच्च न्यायालय ने कह दिया कि राज्य सरकारों को गन्ने का मूल्य तय करने का कोई अधिकार नहीं है, केन्द्र जो दाम तय करेगा वही अंतिम दाम होगा। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि न्यायालय के फैसले को भी बदले और केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा गन्ना मूल्य निर्धारित करे जिससे गन्ना किसानों में आक्रोश न पनपे।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो सीमावर्ती राज्य हैं। अम्बाला और सहारनपुर, हरियाणा और उत्तर प्र ादेश के दो सीमावर्ती जिले हैं। अम्बाला से बढ़िया और गुणवत्ता वाला गन्ना सहारनपुर का है। सहारनपुर के गन्ना किसानों को 74-75 रुपये क्विंटल चीनी मिल मालिक दाम देगा और अम्बाला के किसान को 110 रुपये क्विंटल मिलेगा और अम्बाला के मिल मालिक को घाटा नहीं होगा, जबकि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिक यह कहेंगे कि अगर हम 95-100 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम देंगे, तो हमें घाटा होगा। इससे स्पट है कि यह चीनी मिल मालिकों की दोगली नीति है, दोहरा मानक है और यह किसानों को लूटने का तरीका है। मैं स्पट कहना चाहता हूं कि उनके तर्क में दम नहीं है। यह सही है कि अंतर्राट्रीय बाजार में चीनी का दाम गिर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं गिर रहा है कि गत् वर्ा के बराबर भाव भी आप किसान को न दे सकें। इसलिए आपसे ि वनती है कि जब आप इस पर बैठक बुलाएं तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएं। अभी कम से कम आप उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश जरूर दें कि पिछले वर्ा जो 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल का दाम दिया गया था उतना दाम वह गन्ना किसानों को अवश्य दें। ऐसा नहीं हुआ तो गन्ना किसान आंदोलित होगा, उस पर गोलियां चलेंगी और फिर यही स्थिति पैदा होगी।

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I would also like to speak. …
(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling only those Members who have given notices for Adjournment Motion. The hon. Prime Minister has already stated that there will be a meeting and उसे आप सब लोग मिलकर तय कर लें। इसमें आप थोड़ा संक्षेप में बताइये। डिस्कशन तो इस पर होगा ही।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इस विाय के दो पहलू हैं। एक पहलू है किसान का मुद्दा और दूसरा है गोली चलने वाला।

मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह बड़े साहित्यकार हैं। मुठभेड़ कहीं नहीं हुई है। यहां मुठभेड़ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से गए थे और उनके ऊपर गोलियां चलायी गईं जिससे तीन लोग मारे गए और सात बुरी तरह घायल हुए जिन की हालत गम्भीर है। वहां की किसान यूनियन के नेता कैप्टन गोपाल सिंह हैं। मेरी उनसे 11 बजे यहां आने से पहले बातचीत हुई। वहां अभी स्थिति भयावह है और इसे लेकर किसानों में रोा है। आप शाम को यहां इस बारे में जवाब देंगे। जिस बर्बर तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उस सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। गोली चलाना अंतिम हथियार होता है। जिस प्रकार शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया गया, हमारी मांग है कि उसे लेकर वहां की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। प्रधान मंत्री वहां अपनी तरफ से उनसे बात करें। किसानों के मन में इतना गुस्सा है कि किसान बस्ती में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विाय में जवाब जरूर दें लेकिन उसे देने से पहले यह देखें कि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे जिससे वहां किसान उग्र रूप धारण न करें।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। जैसा अभी शरद जी ने कहा ...(व्यवधान)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): When you are allowing everybody, why are you not allowing the Members from the smaller parties to speak?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी से कितने लोग बोलेंगे?

उपाध्यक्ष महोदयः तीन लोग बोलेंगे। जिन्होंने एडजर्नमैंशन मोशन दिया है, मैंने पहले उनको बोलने का चांस दिया है।

श्री विजय गोयलः यह बहुत लम्बा डिसकशन हो जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का चांस दिया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आपका नाम एडजर्नमैंट मोशन के नोटिस में नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : जितने माननीय सदस्य अभी बोले हैं, क्या उन सब का उसमें नाम है?

उपाध्यक्ष महोदयः जिन्होंने एडजर्नमैंशन मोशन का नोटिस दिया है, उनके बोलने के बाद आपको चांस दूंगा। आप इतने इम्मपेशेंट क्यों हो रहे हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद के मुण्डेरवा में कल गोली चली और समाचार पत्रों में यह आया है कि उसमें तीन किसान मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए। प्र धान मंत्री जी, जहां तक सरकारी वर्शन का सवाल है, देवेन्द्र यादव जी के साथ जो कुछ हुआ, उसके सिलसिले में गृह मंत्री जी ने बयान देते समय कहा था कि उन्होंने पुलिस आयुक्त, गृह सचिव ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप इस विाय में अभी मत बोलें और इतना लम्बा-चौड़ा भााण न करें। हमें दूसरे वियों पर भी डिसकशन करना है।

श्री रामजीलाल सुमन **:** उपाध्यक्ष महोदय, वहां किसानों पर गोली चली है जिससे तीन किसान मारे गए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप इसी विाय पर बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : वहां के डीआईजी का अखबारों में यह बयान छपा है कि वहां किसान पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। यह अत्यधिक गम्भीर सवाल है। दो दिसम्बर से बराबर चीनी मिलों के सामने वहां के किसान शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं। अभी शरद जी ने कहा कि इस पर बहस करा लीजिए। सदन में किसानों के सवाल पर एक बार नहीं, अनेकों बार चर्चा हुई है। चर्चा का क्या मतलब है? चर्चा का मतलब यह होता है कि चर्चा होने के बाद सरकार का र वैया सार्थक हो। अब गन्ने के मूल्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी - यह एक बहुत गम्भीर सवाल है। गन्ना किसानों का जो बकाया है, वह उन्हें मिला नहीं है। चीनी मिल मालिक मिल चलाना नहीं चाहते हैं। वहां आन्दोलन एक जगह नहीं. हर जगह हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 95 रुपए देंगे लेकिन आपकी सरकार ने कहा कि 65 रुपए देंगे। गन्ना किसानों के स वाल पर सरकार का जो रवैया है, मेरा आरोप है कि वह गन्ना मिल मालिकों के साथ मिली हुई है।जानबूझकर ऐसी अव्यवस्था पैदा की जा रही है। किसान अपने हक की बात करेंगे तो उन पर

गोलियां चलेंगी। मैं समझता हूं कि श्री रामविलास पासवान जी ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करिये, तभी किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चल रही है कि बस्ती जिले में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं। वहां किसान अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि देश में जब भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर राज्यों में या दिल्ली में कभी शांतिपूर्वक धरना या प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो राज्य की पुलिस बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियां और गोलियां चलाती है। यह उत्तर प्रदेश की पहली घटना नहीं है। इससे पहले ईख के दामों को लेकर महाराट्र में जब किसान प्र ादर्शन कर रहे थे, तो वहां पुलिस ने घरों में घुस-घुस कर किसानों की पिटाई की थी, जिसके कारण सौ से ज्यादा किसान घायल हो गये थे और पूरे गांव को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी स्थिति में देश के किसानों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी सुमन जी चर्चा कर रहे थे, यहां श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी घायल अवस्था में बैठे हुए हैं। जब बिहार के किसान अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आये तो दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक श्री याद व जी और किसानों की पिटाई की। इस तरह से देश में किसानों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से राज्यों की पुलिस किसानों पर लाठी और गोलियां चला रही हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी अपनी अध्यक्षता में सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक करके उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करें, ताकि किसानों पर इस तरह से लाठी और गोलियां न चल सकें।

दूसरा सवाल है कि माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये, मैं वह नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी अलग-अलग राज्यों में किसानों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। जहां तक ईख के किसानों का सवाल है। अभी मिलों की बात चल रही थी। मैं यह सूचना के रूप में देना चाहता हूं कि मरहौरा में चीनी मिल सात-आठ साल से बंद है और करीब सात करोड़ रुपया वहां के किसानों का दस साल से बकाया है। जिसके कारण वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस तरह देश के हर एक प्रांत में अलग-अलग समस्याएं हैं। बिहार में प्र ोक्योरमैन्ट की समस्या है। शरद जी बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि वह शायद उत्तर देंगे। बिहार में जो किसान अन्न पैदा करते हैं, उसे खरीदने के लिए एक भी टेंडर नहीं खुल पाया है। शरद जी भााण देते हैं, बिहार सरकार भी भााण देती है। भााण सुनकर तथा अखबारों में बयान पढ़कर किसान निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इन दोनों समस्याओं पर ध्यान दीजिए और निरंकुश पुलिस तथा राज्य सरकारों पर आप अंकुश लगाने का काम कीजिए। इसके साथ ही किसानों की एक-एक समस्या का समाधान करने के लिए राज्य

सरकारों के साथ बैठक करके किसानों के ईख के सवाल तथा बिहार में प्रोक्योरमैन्ट के सवाल को हल करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पचास वर्षों से परिपाटी है कि केन्द्र सरकार गन्ने का स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस तय करती है और तदनुसार राज्य सरकार, किसानों के प्रतिनिधि तथा मिलमालिक तीनों बैठकर निगोशिएटिंग प्राइस तय करते हैं। .यह परिपाटी पचास वर्षों से हैं। हमारे बिहार में परिपाटी थी कि जो उत्तर प्रदेश मूल्य तय करता था, उसी के बराबर बिहार भी मूल्य तय करता था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से विकट परिस्थिति पैदा हो गई है और हिसाब लगाने से पता लगता है कि स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस 64-65 रुपये अभी केन्द्र सरकार ने तय किया जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 89-90 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय होता, जो परिपाटी है। लेकिन मिलमालिक कहते हैं जो स्टैचुटरी मिनिमम प्राइस है, उससे अधिक नहीं देंगे। यानी कि वे 30-35 रुपये का फर्क कर रहे हैं। इस पर तमाम गन्ना किसानों में कोलाहल और् आंदोलन मचा हुआ है। सीतामढ़ी में जो चीनी मिल है, वहां किसानों ने गन्ना जलाने का काम किया। वहां मिल भी देर से चालू हुई और 15 चीनी मिलें बंद हो गई और किसानों का बकाया रह गया। ये सारी समस्याएं गन्ना किसानों की है। हम लोग सवाल उठाते हैं, संसद में चर्चा हो जाए। चर्चा हो जाती है, लेकिन चर्चा के आगे कुछ नहीं होता है,

उधर से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार कोई रेस्पांड नहीं करती। इसके कारण समस्याएं बनी हुई हैं। कोई नई समस्या नहीं है जिसकी जानकारी लेनी हो। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से बराबर सदन में यह सवाल बार-बार उठा है कि गन्ना किसानों की समस्या और अन्य समस्याओं के प्रति सरकार सजग नहीं है। इसलिए आन्दोलन होगा, गोली और लाठी चलेगी। किसान सड़कों पर आएगा, आन्दोलन करेगा, कोलाहल मचाएगा। अगर यह नहीं करेगा, तो किसान क्या करेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार कार्रवाई करें। केवल बहस से कुछ नहीं होगा। बहस ऐसी होनी चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान निकले और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

महोदय, चीनी का 20 हजार मीट्रिक टन का बफरस्टाक बनाने की सरकार ने घोाणा की है। उसी से चीनी मिल मालिकों को हजारों करोड़ का फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से सरकार ने चीनी मालिकों के हित में एक नि़र्णय लेकर सैकडों करोड़ रुपए शुगर डैवलपमेंट फंड से दे दिए। बैंकों से चीनी मिल मालिकों को सैकड़ों करोड़ रुपए के कर्ज सस्ती ब्याज और आसान किस्तों पर दिला दिए। जो भी फैसला सरकार कर रही है वह धड़ाधड़ मिल-मालिकों के हित में ही किए जा रही है और गन्ना किसानों की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसी के चलते यह कोलाहल मच रहा है। किसान आन्दोलन कर रहे हैं, वे परेशान हैं। उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव : उपाध्यक्ष जी, अभी गन्ना किसानों के ऊपर पूरा सदन चिन्तित है और मैं इस देश के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गम्भीर प्रयास प्रारम्भ किए हैं। हम सब की और अटल जी की राय है कि गन्ना किसानों की समस्या और गन्ने की प्राइस का मामला केवल एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। इस देश में सबसे ज्यादा गन्ना किसान उत्तर प्रदेश और महाराट्र में हैं। महाराट्र में, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा गन्ना किसान की बदतर स्थिति है। अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को 65 रुपए प्रति क्विंटल मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिलने वाली है, लेकिन महाराट्र में महाराट्र सरकार ने एक टन गन्ने के 540 रुपए भुगतान करने का फैसला किया है। इस प्रकार से यदि देखें तो महाराट्र में 54 रुपए प्र ाति क्विंटल गन्ने का भाव मिलने वाला है। हरियाणा सरकार गन्ने के किसानों को हरियाणा में 110 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने गन्ना किसानों को 65 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है और महाराट्र सरकार केवल 54 रुपए प्रति क्विंटल ही अपने गन्ना किसानों को भाव देने वाली है। महाराट्र के किसानों के लिए यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है।

महोदय, किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महाराट्र में गन्ना किसान नेता विट्ठल पटेल के नेतृत्व में जनान्दोलन चलाया था। पुलिस ने अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट के सांगली और डिगरस में किसानों पर लाठी चलाई और केवल लाठी ही नहीं चलाई बल्कि जो बूढ़े लोग थे उन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया और जो महिलाएं थीं उनके गले का मंगलसूत्र छीना गया। मंगल सूत्र महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस प्रकार से पुलिस ने महाराट्र में महिलाओं का सौभाग्य छीनने का काम किया। महाराट्र में तो पुलिस ने उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अत्याचार गन्ना उत्पादकों पर किया था।

महोदय, इस प्रकार से महाराट्र का गन्ना काश्तकार नहीं बचेगा और यदि महाराट्र का गन्ना किसान नहीं बचेगा, तो महाराट्र की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्र ाधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के गन्ना किसानों के लिए एक नीति बनाइए। हालांकि सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई नतीजा नहीं निकला। धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: On the issue of farmers' problems, many hon. Members have given their views. Hon. Prime Minister has also made it clear to make a statement in the House after ascertaining the facts. We may take up that matter in the BAC and decide the issue as early as possible.

Now, papers to be laid on the Table.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Dr. Vijay Kumar Malhotra.

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसकी जांच के लिए आसन के निर्देशानुसार एक समिति बनायी गई थी। वहां पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई थी। हम जानना चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका ही नाम बुला रहा था।

I have already called him to make a statement in this regard.